

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/986 /

जबलपुर, दिनांक 19/03/2021

II-14-95/2020

कु. खुशबु गौर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को पात्रतानुसार दिनांक 06.08.2020 से 20.09.2020 तक 46 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21.09.2020 से 29.09.2020 तक 9 दिन का अवैतनिक अवकाश (Leave Without pay) स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/987 /

जबलपुर, दिनांक 19/03/2021

II-14-95/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 374/स्था. ग्वालियर दिनांक 29/01/2021 के संदर्भ में कु. खुशबु गौर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र, कर्त्तव्य पर उपस्थिति आवेदन पत्र, मेडिकल पेपर्स एवं अवकाश लेखा की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन सम्पति)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

::-::